HRC of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II--खण्ड 3--उप-खण्ड (ii) PART II--Section 3--Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2286]	नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 2, 2010/कार्तिक 11, 1932
No. 2286]	NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 2, 2010/KARTIKA 11, 1932

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 नवम्बर, 2010

का.आ. 2705(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त

शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त सारणी के स्तंभ (1) की तत्स्थानी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्ग की उक्त सारणी के स्तंभ (2) की तत्स्थानी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट सेक्शन के खंड को, जो निम्नलिखित सारणी के स्तंभ (3) में यथाविनिर्दिष्ट है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधि करण को सौंपती है, अर्थात् :----

सारणी

राष्ट्रीय राजमार्ग सं.	सेक्शन	किलोमीटर में भू-खंड
(1)	(2)	(3)
7	रीवा-कटनी	243.60 कि.मी. से 377.600 कि.मी. तक

[फा. सं. एनएच-14013/13/2009-पी.एंड.एम.]

एस. एस. गुलिया, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd November, 2010

S.O. 2705(E).—In exercise of the powers conferred by Section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby entrusts the stretch, as specified in column (3) of the following Table of the section as specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table of the National Highways as specified in the corresponding entry in column (1) of the said Table, to the National Highways Authority of India, namely :---

TADIE

# (347 LIF /			
National Highway No.	Section	Stretch in Kilometers	
(1)	(2)	(3)	
7	Rewa-Katni	From km. 243.600 to km. 377.600	
		[F No NH-14013/13/2009-P & M]	

[F. NO. INH-14013/13/2009-P.&.M]

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 नवम्बर, 2010

का.आ. 2706(अ).---केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 68) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1096(अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :---

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में क्रम सं. 13 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :---

(1)	(2)	(3)
"13	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 7 [243.600 कि.मी. से 651.500 कि.मी. (रीवा से कटनी से मध्य प्रदेश/ महाराष्ट्र सीमा) को छोड़कर], सं. 12 [10.20 कि.मी. से 314.00 कि.मी. (जबलपुर-भोपाल) और ब्यावरा-मध्य प्रदेश/राजस्थान सीमा सेक्शन (ब्यावरा-राजगढ़ से मध्य प्रदेश/राजस्थान सीमा) 140.00 कि.मी. से 67.20 कि.मी. को छोड़कर], सं. 27, सं. 75 [मध्य प्रदेश/उत्तर प्रदेश सीमा- छतरपुर-बमीठा] (झांसी-नौगांव सेक्शन के 83.40 कि.मी. से 108.00 कि.मी. और नौगांव- सतना सेक्शन के. 0.000 कि. मी. से 57.20 कि.मी. तक) को छोड़कर], सं. 76 [0.000 कि.मी. से 30.000 कि.मी. तक (मध्य प्रदेश /राजस्थान सीमा से शिवपुरी) को छोड़कर] और सं. 92 जो मध्य प्रदेश राज्य के भीतर स्थित है।	मध्य प्रदेश राज्य सरकार ।"
		• •

[फा. सं. एनएच-14013/13/2009-पी एंड एम]

एस. एस. गुलिया, निदेशक

पाद टिप्पण.—मूल अधिसूचना सं. का.आ. 1096(अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अंतिम बार अधिसूचना सं. का आ. 2189(अ), तारीख 7 सितंबर, 2010 द्वारा संशोधित की गई ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd November, 2010

S.O. 2706(E).—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O. 1096(E), dated the 4th August, 2005, namely :—

In the Schedule to said notification, for serial number 13 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely :----

(1)	(2)	(3)
"13	So much of National Highways No. 7 [excluding from km. 243.600 to km. 651.500 (Rewa to Katni to Madhya Pradesh/Maharashtra Border)], No. 12 [excluding from km. 10.20 to km. 314.00 (Jabalpur-Bhopal) and from km. 1.40 to km. 67.20 of Biaora-MP/Rajasthan Border section (Biaora-Rajgarh to Madhya Pradesh/Rajasthan Border)], No. 27, No. 75 [excluding from MP/UP Border-Chhatarpur-Bamitha (from km. 83.40 to km. 108.00 of Jhansi-Nowgaon Section and from km. 0.00 to km. 57.20 of Nowgaon-Satna section)], No. 76 [excluding from km. 0.000 to km. 30.000 (Madhya Pradesh/Rajasthan Border to Shivpuri)] and No. 92 as are situated within the State of Madhya Pradesh.	State Government of Madhya Pradesh".

[F. No. NH-14013/13/2009-P. & M.]

S. S. GULIA, Director

Footnote.—The principal notification was published *vide* number S.O. 1096(E), dated the 4th August, 2005 and last amended *vide* number S.O. 2189(E), dated the 7th September, 2010.